(2)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल

–0–

क्रमांक/एफ–10/बजट/210/ 1190 भोपाल, दिनांक 28-4-11

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
   वन/वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/लोक निर्माण/जल संसाधन/
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
4. सचिव, वन विभाग
5. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
   केंद्रीय भवन, रविशंकर नगर, भोपाल
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
7. अशासकीय संगठन, समर्थन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट,
   36 ग्रीन ऐवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, 462016
8. अशासकीय संगठन, प्रदान, श्री रविन्द्र नाथ, भोपाल ब्रांच,
   मकान नंबर बी–30/ए सहयोग परिसर, ई–8 अरेरा कॉलोनी, भोपाल

विषयः– प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, म.प्र. की राज्य स्तरीय संचालन समिति की दिनांक 28.01.2011 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एफ–10/बजट/210/270 दिनांक 27.01.2011

–0–

उपरोक्त विषय में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन से अनुमोदित कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(नरेन्द्र कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–10/बजट/210/ 1191 भोपाल, दिनांक 28-4-11

प्रतिलिपिः– निज सहायक, मुख्य सचिव, म.प्र. मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न प्रेषित है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः—मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 28.1.2011 का कार्यवाही विवरण।

—0—

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 28.1.2011 सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची (परिशिष्ट—1) संलग्न है।

2. बैठक में रखे गये एजेण्डा में एजेण्डावार चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए :—

एजेण्डा विन्दु—1—राज्य स्तरीय संचालन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 23.2.2010 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तरीय संचालन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 23.2.2010 के कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा विन्दु—2—राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 23.2.2010 में लिये गये निर्णय का पालन प्रतिवेदन।

प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के पालन में बिन्दुवार की गई कार्यवाही प्रतिवेदन से समिति अवगत हुई।

बैठक दिनांक 23.2.2010 के एजेण्डा क्रमांक—4 के सन्दर्भ में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जमा राशि पर अधिक से अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु दो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना खाता खोले सावधि जमा कराई जा सकती है। अतः समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा बिन्दु—3—नियम प्रक्रिया तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

3.1 कार्यकारिणी समिति के क्रियाकलापों के लिये नियम एवं प्रक्रिया विषयक

कार्यकारिणी समिति के क्रिया—कलापों के लिये तैयार किये गये नियम एवं प्रक्रिया से समिति अवगत हुई।

नियम एवं प्रक्रिया के नियम 3.9 के सम्बन्ध में निर्देश दिये कि कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा राशि रुपए 10.00 लाख तक आकस्मिक प्रकृति के कार्यों के लिये स्वीकृति के अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अधिकार दिए जाने के पूर्व आकस्मिक प्रकृति के कार्यो को स्पष्ट करते हुए आगामी बैठक में रखा जावे।

3.2 स्वीकृत योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

स्वीकृत योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया के निर्धारण सम्बन्धी जारी निर्देशों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया।

एजेण्डा विन्दु —4 कैम्पा मद के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य

4.1 स्वीकृत 215 वनीकरण योजनाओं के द्वितीय वर्ष के क्रियान्वयन हेतु राशि की मांग विषयक।

समिति द्वारा प्रथम बैठक में स्वीकृत 215 योजनाओं के लिए द्वितीय वर्ष की राशि की माँग के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जिन वनीकरण योजनाओं का अनुमोदन समिति द्वारा

किया जा चुका है, उनके प्रत्येक वर्ष की राशि की माँग के लिए संचालन समिति के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। यह काम कार्यकारिणी समिति द्वारा देखा जावे।

4.2 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनीकरण योजनाओं (पूर्व की स्वीकृत 215 योजनाओं से भिन्न) के लिये राशि की आवश्यकता।

समिति द्वारा 39 नवीन क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनाओं की कुल लागत रुपए 96.81 करोड़ का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा विन्दु–5–कैम्पा मद के अन्तर्गत एन. पी. व्ही. की जमा राशि का उपयोग

5.1 विभाग में नवीन कार्यों की जीओ मेपिंग बाबत्

जी. आई. एस आधारित अनुश्रवण प्रणाली के विकास हेतु Tools/Techniques/ Imageries के क्रय/निर्माण करने हेतु आवश्यक राशि रुपए 5.00 करोड़ स्टेट कैम्पा के एन. पी. व्ही. मद से उपयोग किए जाने का अनुमोदन किया गया।

5.2 मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम को हाई इनपुट सागौन वृक्षारोपण के लिये राशि का हस्तांतरण।

प्रोजेक्ट की कुल लागत रुपए 11,975.16 लाख में से 40% राशि रुपए 4,718.10 लाख के लिए स्टेट कैम्पा में उपलब्ध एन. पी. व्ही. की राशि के सशर्त उपयोग के प्रस्ताव का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

5.3 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को कैचमेण्ट एरिया ट्रीटमेण्ट हेतु राशि का हस्तान्तरण

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना अन्तर्गत जलग्रहण उपचार कार्य हेतु रुपए 3,611.52 लाख कैम्पा मद से उपलब्ध कराया जाय क्योंकि यह परियोजना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं कैम्पा मद के अस्तित्व में आने के पूर्व की है। अतः योजना में प्रभावित वन भूमि एवं कुल प्रभावित भूमि के अनुपात में वन क्षेत्र में आ रहे कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के कार्य हेतु प्रो–रेटा आधार पर राषि प्रदाय करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा जावे।

5.4 मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसन्धान संस्थान को फारेस्ट हरबेरियम के आधुनिकीकरण एवं डिजिटाईजेशन के लिए राशि का हस्तान्तरण

हरबेरियम का वैज्ञानिक आधुनिकीकरण (रॉयल बोटेनिकल गार्डन, Kew, UK के दिशा निर्देशानुसार) इलेक्ट्रानिक हरबेरियम डेटाबेस तथा पादप विविधता की पहचान हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं वेवसाईट पर उपलब्ध कराने की परियोजना हेतु रुपए 18.75 लाख की मांग के प्रस्ताव का संचालन समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

5.5 कैम्पा की राशि से वन्य प्राणी विकास से सम्बन्धित कार्यो का प्रस्ताव।

कैम्पा की राशि में उपलब्ध एन. पी. व्ही. की राशि से संरक्षित क्षेत्र फेन अभ्यारण्य के ग्राम साजा लगान के रहवासियों के विस्थापन हेतु राशि रुपए 18.30 करोड़ उपयोग करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा विन्दु–6–भू–प्रबन्ध शाखा के लिये सॉफ्टवेयर तथा क्षेत्रीय कार्यों का अनुश्रवण/ मूल्यांकन

वर्ष 2009–10 में स्वीकृत 215 वनीकरण योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उपलब्ध राशि रुपए 130.51 लाख में से वन भूमि व्यपवर्तन के लम्बित प्रकरणों तथा कैम्पा के कार्यों की समीक्षा के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण हेतु प्रस्तावित राशि रुपए 50 लाख एवं उसमें से प्रथम किश्त के रूप में रुपए 25 लाख उपयोग करने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

समिति द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के कार्य हेतु प्रस्तावित 15 वाहनों के क्रय की स्वीकृति नहीं दी गई तथा निर्णय लिया गया कि इस हेतु आवष्यकतानुसार किराए के वाहनों का उपयोग किया जावे।

एजेण्डा विन्दु–7–स्टेट कैम्पा में जमा राशि से अधिक से अधिक व्याज प्राप्ति हेतु प्रस्ताव

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा खाता खोलने तथा इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) को अधिकृत करने के प्रस्ताव का संचालन समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा विन्दु–8–नर्मदा पेयजल परियोजना, भोपाल द्वारा रातापानी अभ्यारण्य हेतु कैम्पा फण्ड में जमा करायी गई राशि का उपयोग।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार आवेदक संस्था से रातापानी अभ्यारण्य से गुजरने वाली पाईप लाईन के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग के एवज में प्राप्त राशि रुपए 12.00 करोड़ जो कैम्पा मद में जमा हैं, के वन्य प्राणी संरक्षण हेतु उपयोग किए जाने सम्बन्धी प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त समिति द्वारा वाहन क्रय के प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करते हुए उक्त राशि के पुनरीक्षित प्रस्ताव समिति के समक्ष रखे जाने का निर्णय लेते हुए शेष प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा के अतिरिक्त अन्य चर्चा के बिन्दु

स्टेट कैम्पा में भारत सरकार से प्राप्त राशि से एन. पी. व्ही. मदों के कार्यों का क्रियान्वयन।

भारत सरकार से स्टेट कैम्पा में प्राप्त राषि से एन. पी. व्ही. के अन्तर्गत समिति द्वारा अनुमोदित ए. पी. ओ. के कार्यों के क्रियान्वयन पर विचार किया गया। समिति द्वारा वनीकरण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया गया कि प्राप्त राशि का उपयोग प्रथमतः इन कार्यों पर किया जावे तथा वनीकरण क्षेत्रों के भविष्य के रख–रखाव हेतु 20% राषि आरक्षित रखी जाकर शेष राशि का उपयोग एन. पी. व्ही. मद के कार्यों पर किया जावे।

वैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रवंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल